न्या० RAA, BARMER

हरजीराम बनाम नाथिया

31/2017 आवेदन धारा 12 ... पालना [Execution]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/3/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तमाचीखां उपस्थित। उसने प्रार्थना-पत्र के तहत वर्णित न्यायालय आदेशों/निर्णयों की पालना कराने का निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र का एवं इसके साथ संलग्न फोटो प्रतियां माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 19/9/96 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी (प्रथम) जोधपुर के निर्णय दिनांक 21-9-93 का अवलोकन किया। पालना (इजराय) के लिए प्रार्थना-पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होता है जिसने वह निर्णय/आदेश पारित किया है जिसकी पालना चाही जा रही है। इस दृष्टि से उक्त दोनों निर्णयों का संबंध न्यायालय हाजा से नहीं है; प्रार्थना-पत्र क्षेत्राधिकार से परे है। विधि की दृष्टि में पालना हेतु आवेदन उस पक्षकार द्वारा पेश किया जा सकता है जिसके पक्ष में कोई निर्णय/आदेश हुआ है। हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी विचाराधीन प्रार्थना-पत्र में वर्णित निर्णयों के मामलों में पक्षकार नहीं है बल्कि अज्ञात तृतीय पक्षकार है। प्रार्थी ने पावर ऑफ अटार्नी के जरिये से पक्षकार की पैरवी चाही है जो विधि की दृष्टि में न्यायालय में किसी मामले में पैरवी हेतु ग्राह्य नहीं है। प्रार्थी वकालत के पेशे के लिए न तो वह योग्यता रखता है और न ही स्थानीय बार एसोसिएशन में सदस्य रूप में पंजीकृत है। अतः वह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है। मियाद अधिनियम के आर्टिकल 136 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय/डिक्री/आदेश के निष्पादन (execution)/इजराय बाबत आवेदन प्रस्तुति के लिए अधिकतम मियाद अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। हस्तगत प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित निर्णय क्रमशः लगभग 22 वर्ष एवं 25 वर्ष पुराने है जो विहित मियाद अवधि से बहुत अधिक पुराने है; इस दृष्टि से भी प्रार्थना-पत्र अंदर मियाद नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा विधि के आलोक में प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर कम, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 26/3/19	

Scanned by CamScanner